तेलहट्टा बाजार में मीट हाउस व अस्थायी गुमटी की हुई बंदोबस्ती

सीवान. नगर परिषद सभाकक्ष में बुधवार को तेलहट्टा बाजार स्थित नगर परिषद सीवान द्वारा संचालित मीट हाउस और सुता पट्टी की अस्थायी गुमटी की बंदोबस्ती की गई. नौशाद अली को 32,800 रुपये में बंदोबस्ती दी गई. नगर परिषद प्रशासन की देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई. बताया गया कि बंदोबस्ती की डाक की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है. इस दौरान नगर परिषद प्रशासन की ओर से पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया पूरी की गई. अधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद की संपत्तियों की नियमित बंदोबस्ती कर राजस्व बढ़ाने और व्यवस्था को सुचारु रखने का प्रयास किया जा रहा है. इस मौके पर नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता, सिटी मैनेजर बालेश्वर राय, ओमप्रकाश सहित अन्य कर्मी मौजूद थे.

बंदोबस्ती में शामिल इओ व अन्य .

परेशानी. कॉमर्शियल सिलिंडर की कमी से होटल-रेस्टोरेंट प्रभावित, इंडक्शन चूल्हों की बढ़ी मांग

रसोई गैस का संकट गहराने से उपभोक्ता हो रहे परेशान, गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी कतार

प्रतिनिधि.सीवान

जिले में इन दिनों रसोई गैस की कमी को लेकर उपभोक्ताओं के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई है. बुधवार की सुबह से ही जिले के विभिन्न गैस एजेंसियों पर सिलिंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गईं.कई जगहों पर दोपहर होते-होते गैस सिलिंडर खत्म हो गए, जिसके कारण कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा.

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है. लोगों के बीच यह आशंका फैलने लगी है कि पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इसी डर के कारण कई लोग अपने खाली सिलिंडर को जल्द भरवाकर घर में स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं.इसका असर यह हुआ है कि गैस एजेंसियों पर अचानक मांग बढ़ गई है.जिले के कई गैस वितरकों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सिलिंडरों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई है.लगन के मौसम के कारण भी घरेलू गैस की खपत बढ़ी हुई है.शादी-ब्याह वाले घरों में खाना बनाने के लिए अतिरिक्त सिलिंडर की जरूरत पड़ रही है.जिसके कारण गैस एजेंसियों के पास लगातार फोन आ रहे हैं. एजेंसियों का कहना है कि आपूर्ति सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मांग अधिक होने से परेशानी हो रही है.

शहर के गोपालगंज रोड स्थित गैस एजेंसी पर पहुंचे उपभोक्ता .

कोयला चूल्हा पर खाना बनाता दुकानदार .

बिना डीएसी नंबर के सिलिंडर नहीं दिया जा रहा

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अनावश्यक भंडारण को रोकने के लिए कंपनियों ने हाल ही में डिलीवरी सिस्टम में बदलाव किया है . अब गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) अनिवार्य कर दिया गया है . बिना डीएसी नंबर के सिलिंडर नहीं दिया जा रहा है . इसके लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल साथ लाना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल पर ही डीएसी नंबर आता है .एजेंसियों का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी .गैस संकट के बीच बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है . कई उपभोक्ता एहतियात के तौर पर इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं ताकि गैस नहीं मिलने की स्थिति में खाना बनाने में परेशानी न हो . हालांकि मौजूदा स्थिति ने आम लोगों के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों की भी चिंता बढ़ा दी है .यदि आने वाले दिनों में आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है .

रसोई गैस की कोई कमी नहीं: डीएम

जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा कि वर्तमान में घरेलू रसोई गैस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पेट्रोलियम एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त गैस सिलिंडर उपलब्ध है.डिलीवरी के 25 दिन बाद ही उपभोक्ता नया सिलिंडर बुक कर सकते हैं और बुकिंग के 2 से 3 दिनों के भीतर गैस की आपूर्ति कर दी जाएगी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगातार गैस आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की निगरानी कर रहा है. डीएम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं.

बिना ओटीपी की जांच के सिलिंडर नहीं दिया जा रहा: उपभोक्ताओं के लिए एक और परेशानी यह है कि अब 25 दिनों से पहले सिलिंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही है. पहले यह अवधि 15 दिन की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. इसके अलावा बिना ओटीपी की जांच के सिलिंडर नहीं दिया जा रहा है. कई उपभोक्ताओं ने बताया कि सुबह से फोन करने के बावजूद बुकिंग नंबर पर कॉल नहीं लग रहा था. जिससे गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही थी. इस कारण लोग सीधे एजेंसी पहुंचकर जानकारी लेने को मजबूर हैं. इधर, कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों की कमी ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और मिठाई दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी है. कई प्रतिष्ठानों के संचालकों ने बताया कि डीलरों द्वारा सिलिंडर उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है.जिसके कारण उनके कारोबार पर असर पड़ने लगा है.कुछ दुकानदारों ने बताया कि अगर यही स्थिति दो-तीन दिन तक बनी रही तो उन्हें अपना रेस्टोरेंट या दुकान बंद करनी पड़ सकती है. कई जगहों पर गैस नहीं मिलने के कारण दुकानदार कोयले के सहारे खाना तैयार कर रहे हैं.एक होटल संचालक ने बताया कि पहले कॉमर्शियल सिलेंडर की जरूरत होने पर तुरंत आपूर्ति हो जाती थी, लेकिन अब इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है.

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से 255 रहे अनुपस्थित

सीवान. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के भविष्य को संवारने वाली राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा बुधवार को आयोजित हुई. कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व से हीं तैयारी की गई थी. परीक्षा दो पालियों में पांच केंद्रों यथा डीएवी हाईस्कूल सह राजकीय इंटर कालेज, वीएम हाईस्कूल सह राजकीय इंटर कालेज, जीएसवीएम हाईस्कूल सह राजकीय इंटर कालेज पचरूखी, एसवीएस हाईस्कूल सह इंटर कालेज अमलोरी सरसर तथा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सरसर में आयोजित की गई. प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ली गई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर एक बजे से 2.30 बजे तक आयोजित हुई. सभी केंद्रों पर परीक्षार्थी निर्धारित समय से पूर्व पहुंच गए थे, जिनकी मुख्य प्रवेश गेट पर गहनतापूर्वक जांच के बाद प्रवेश की अनुमति दी गई. जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पाली की परीक्षा में कुल आवंटित 3216 में से 2962 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 254 अनुपस्थित रहे.

प्रमाणपत्र जारी करने में नहीं हो अनावश्यक विलंब : डीएम

प्रतिनिधि,नौतन

जिलाधिकारी विवेक कुमार मैत्रेय ने बुधवार को नौतन प्रखंड कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र एवं थाने का औचक निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सभी कर्मियों की उपस्थिति का जायजा लिया. इसके बाद आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण करते हुए कहा कि अनावश्यक तौर पर कोई भी आवासीय, जाति या आय प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पेंडिंग नहीं रखना है. सभी सेवाओं का समयानुसार निष्पादित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने अंचल कार्यालय में मौजूद सभी कर्मियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी हासिल की. प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया. जिलाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र से सीधे स्थानीय थाने में पहुंचकर निरीक्षण किया तथा सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन करने की बात कही. थाने में किस-किस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसकी भी जानकारी ली. वहीं शराब तस्करी सहित अन्य मामलों जब्त वाहनों की स्थिति का भी जायजा लिया. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजलि कुमारी, थाना प्रभारी शशि रंजन एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

डीएम ने अर्धनिर्मित पीएचसी और रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण

दरौली . प्रखंड मुख्यालय स्थित दोन रेफरल अस्पताल का डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने बुधवार को निरीक्षण किया . निरीक्षण के दौरान डीएम ने दवा वितरण काउंटर, लैब रूम, ओपीडी काउंटर, इमरजेंसी रूम और पर्ची काउंटर का गहनता से निरीक्षण किया . प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लालाबाबू को कई आवश्यक निर्देश दिए . डीएम प्रखंड मुख्यालय में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी निरीक्षण किया . जहां बन रहे बिल्डिंग और उससे जुड़े कई कार्यों का जांच पड़ताल किया . मौजूद अधिकारियों से बातचीत किया . लौटने के क्रम में उनके द्वारा अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया . जिसमें आरटीपीएस काउंटर, अंचल कार्यालय, प्रखण्ड कार्यालय, नजारत, शामिल है .

सर्वर डाउन, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं हो सका इ केवाइसी

गैस एजेंसी पर इ-केवाईसी करते कर्मी .

मैरवा. प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गैस एजेंसियों पर इ-केवाईसी कराने पहुंचे उपभोक्ताओं को बुधवार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सर्वर की सुस्त रफ्तार ने उपभोक्ताओं के धैर्य की परीक्षा ली. घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी सैकड़ों लोगों का काम नहीं हो सका. जिससे उनमें काफी रोष देखा गया. मैरवा के तीन गैस एजेंसी पर इ-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है. जहां सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा है. आंबेडकर इंडेन गैस एजेंसी पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई. नगर के प्राणगढ़ी स्थित बीसी एंड सी इंडेन एजेंसी तथा कबीरपुर के गायत्री इंडेन एजेंसी पर ई केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही रही है. उफेस मैच न होने और मुख्य सर्वर के बार-बार डाउन होने के कारण एक व्यक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग रहा है. दूर-दराज के गांवों से आए बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी. एजेंसी प्रबंधकों का कहना है कि भीड़ अचानक बढ़ने और कंपनी के पोर्टल पर लोड अधिक होने की वजह से सर्वर स्लो काम कर रहा है.

अभ्यर्थियों में चुनाव चिह्न आवंटित, 18 को मतदान को बाद होगी वोटों की गिनती

हसनपुरा. पैक्स चुनाव को लेकर बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी आनंद प्रकाश सिंह की उपस्थिति में अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिह्न आवंटित किया गया. जहां तेलकथु पंचायत से अध्यक्ष पद पर देवानंद यादव को मोतियों का माला व विनोद यादव को ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है. जबकि अन्य सात कार्यकारिणी सदस्यों के विरोध में किसी ने नामांकन नहीं किया था, तत्पश्चात निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. वहीं दूसरी ओर अरंडा पंचायत से अध्यक्ष पद पर सुरेश यादव सहित कुल सात कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया था, जिससे सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. वहीं तेलकथू पंचायत में दो प्रत्याशियों यथा देवाचंद यादव व विनोद यादव आमने सामने हैं, जहां 18 मार्च को सुबह सात बजे से शाम 4: 30 बजे तक प्रशासन के चौकसी के बीच मतदान होगा, उसी दिन मतगणना होगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के शत प्रतिशत टीकाकरण पर जोर

रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर बैठक करते बीडीओ .

दरौली. प्रखंड मुख्यालय के सभागार में रूटीन इम्यूनाइजेशन को लेकर बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता बीडीओ ऋषि यादव और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लालबाबू ने संयुक्त रूप से किया.

डॉ लालबाबू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बच्चे पेंटा टीकाकरण लेने में छूट जाते हैं. जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे बच्चों को जो टीकाकरण से वंचित है. या टीकाकरण के बाद दूसरे डोज लेने में देरी हो गई है. उसके लिए जीविका, आंगनबाड़ी सेविका, रोजगार सेवक और मुखिया से भी सहयोग लिया जाएगा. वहीं टीका करण का महीने में एक बार पंचायतों में जाकर समीक्षा होगा. जिला समन्वयक दिलीप पोद्दार और सत्य प्रकाश के द्वारा मीटिंग का संचालन किया गया हैं . जिसमें प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, मुखिया, जीविका सदस्य, परिवार नियोजन पारदर्शी, स्वास्थ्य विभाग, ब्लॉक कॉर्डिनेटर-पीसीआई उपस्थित थे.

सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के कार्यालय का हुआ उद्घाटन

उद्घाटन में शामिल समिति से जुड़े लोग व अधिकारी .

बसंतपुर. बसंतपुर में प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति के कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को हुआ. उद्घाटन में मुख्य रूप से सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक सुरेश चौधरी तथा पीवीसीएस के नोडल पदाधिकारी लोकेश कुमार ने हिस्सा लिया. समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए नोडल पदाधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि सरकार ने सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को बिचौलिए से बचाने एवं उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु सब्जी समिति का गठन किया है. इससे किसान सीधे लाभान्वित हो कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे. किसानों को सब्जी समिति से जुड़ने के फायदों, बिक्री हेतु रिटेल आउटलेट के बारे में बताते हुए कहा गया कि सब्जियों के भंडारण एवं शीतगृह निर्माण हेतु गोदाम बनवाया जा रहा है. समिति के अध्यक्ष संजीत कुमार ने कहा कि समिति किसानों से सब्जी क्रय कर उसे बाजार में उचित मूल्य पर बेचती है. जिससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति के साथ आने वाले समय में सब्जी व्यवसाय में और अधिक वृद्धि की संभावना है. मौके पर उपाध्यक्ष अशोक राम, सचिव सोना देवी, सहायक प्रबंधक सुमित कुमार आदि मौजूद थे.

भारत सरकार
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तीसरी मंज़िल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003
फोन: 011-24695044
सत्यमेव जयते

सार्वजनिक सूचना

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवार के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2026 से 31.03.2031) के दौरान विमानन सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण हेतु हितधारकों की परामर्श बैठक.

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवार के लिए पांच साल के पहले नियंत्रण अवधि टैरिफ साइकल (01.04.2026 से 31.03.2031) के लिए वैमानिक सेवाओं के टैरिफ निर्धारण के संबंध में 06.03.2026 को परामर्श पत्र संख्या 07/2025-26 जारी किया है (जो एईआरए की वेबसाइट यूआरएल www.aera.gov.in पर उपलब्ध है).

एईआरए अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार, परामर्श पत्र में निहित प्राधिकरण के विभिन्न टैरिफ प्रस्तावों के हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जाता है. इस संबंध में एक हाइब्रिड मोड (भौतिक/ऑनलाइन) में हितधारक परामर्श बैठक **23 मार्च, 2026 (सोमवार) को अपराह्न 3:00 बजे** निम्नलिखित स्थान पर निर्धारित है:

हितधारक कक्ष, तीसरी मंजिल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

यात्रियों/यात्री संघों, आम जनता, हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइनों, उद्योग संघों/निकायों, कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग, फ्यूल फार्म आदि के स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं सहित सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त बैठक में शामिल हों और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवार के टैरिफ प्रस्ताव पर उपरोक्त परामर्श पत्र पर अपने बहुमूल्य सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार दें.

व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वाले प्रतिभागी 20 मार्च, 2026 तक अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और वाहन नंबर सहित अपनी पुष्टि एईआरए को ईमेल द्वारा (director-ps@aera.gov.in और rajan.gupta1@aera.gov.in पर) भेज सकते हैं. हितधारकों की बैठक से पहले, एईआरए की वेबसाइट (https://aera.gov.in) पर "News and Announcements" टैब के अंतर्गत ऑनलाइन लिंक साझा किया जाएगा.

CBC 03112/12/0014/2526 ह/- सचिव, एईआरए

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate
संपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा (डी.पी.-17415),
भूतल, लव-कुश टॉवर, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, ई-मेल: cb17415@canarabank.com

नियम 8 (1), कब्जा सूचना (अचल सम्पति के लिए) [धारा 13(4)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का नियम 54) एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न ऋणी को बकाया राशि के प्रतिदाय के लिए निम्न दिनांक को एक मांग सूचना जारी किया था जिसमें निम्न रकम को 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण ऋणी एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पति का कब्जा निम्न दिनांक को ले लिया है।

ऋणी एवं जनसाधारण को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पति की खरीद-फरोख्त न करें तथा इस परिसम्पति के किसी भी क्रय-विक्रय अंकित रकम साथ ही उसके आगे ब्याज एवं अन्य खर्चे अलग से **केनरा बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत आमंत्रित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम / ऋणी का नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि / कब्जा की तारीख	संपत्ति का विवरण चल / अचल
1.	**उधारकर्ता: 1) मेसर्स सालासार बालाजी इम्पोरियो,** जिसके स्वामी श्री राजीव कुमार मेहता पिता दिलीप कुमार मेहता, **2) श्री राजीव कुमार मेहता** पिता दिलीप कुमार मेहता, **3) श्री दिलीप कुमार मेहता** पिता स्वर्गीय मंगल महतो, **4) श्रीमती नीलम देवी** पति दिलीप कुमार मेहता, **5) श्री विकास कुमार** पिता दिलीप कुमार मेहता (इसके बाद इन्हें "उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता गिरवीदार/गारंटर" कहा जाएगा)	26.12.2025 रु. 4,02,48,618.10 (रूपये चार करोड़ दो लाख अड़तालीस हजार छह सौ अठारह एवं दस पैसे मात्र) दिनांक 20.12.2025 तक का भुगतान भविष्य के ब्याज के साथ। 07.03.2026	वह पूरा भूभाग एवं उस पर स्थित इमारत सहित भूमि का वह पूरा टुकड़ा मौजा-संदलपुर, थाना संख्या 11, तौजी संख्या 303, खाता संख्या 228, सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1783 (भाग), कुल क्षेत्रफल 8.750 डेसिमल (2 कट्ठा 16 धूर के समतुल्य), श्री दिलीप कुमार मेहता एवं श्रीमती नीलम देवी के नाम पर स्व-अर्जित/खरीदी गई/पैतृक संपत्ति है, जिसका वार्षिक किराया बिहार राज्य, पटना सदर सर्कल कार्यालय, वार्ड संख्या 50, राजस्व सर्कल संख्या 49, नई होल्डिंग संख्या 279/4 को दिया जाता है एवं जो उप-रजिस्ट्री कार्यालय, पटना नगर एवं जिला पंजीकरण कार्यालय, पटना के अधिकार क्षेत्र में आता है। **इसकी चौहद्दी इस प्रकार हैं:** **संपत्ति की चौहद्दी:** उत्तर: श्री शिवचरण महतो, प्लॉट संख्या 1783 का भाग एवं देवी स्थान, दक्षिण: प्लॉट संख्या 1783 का भाग, श्री प्रदीप मेहता पट्टिदार, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: श्री प्रभु महतो एवं दास बाबू साधारण बंधक विलेख संख्या 13655 दिनांक 30.12.2022 के अनुसार साधारण बंधक विलेख संख्या 13656 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार साधारण बंधक विलेख संख्या 5505 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार **CERSAI सुरक्षा हित आईडी-** 400067690139, 400068633450, 400090128699 **टाईटल होल्डर-** श्री दिलीप कुमार मेहता एवं श्रीमती नीलम देवी
2.	**उधारकर्ता: मेसर्स सीता रेडीमेड गारमेंट उद्योग,** प्रोप्राराईटर सीता कुमारी, गौरव कुमार के माध्यम से एवं गारंटर श्री गौरव कुमार एवं श्रीमती मृदुला देवी (इसके बाद इन्हें 'उधारकर्ता /गारंटर/गिरवीदार' कहा जाएगा)	07.03.2025 राशि रु. 20,98,760.48/- (रुपये बीस लाख अट्ठानवे हजार सात सौ साठ एवं अड़तालीस पैसे मात्र) अतिरिक्त लागत एवं शुल्कों के साथ-साथ मुकदमे की लागत, मुकदमे के दौरान एवं संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज 09.03.2026	खाता संख्या 67 खेसरा संख्या/प्लॉट संख्या – 1021(K)(KH) क्षेत्रफल- 2.20 डेसिमल **चौहद्दी:** उत्तर- चन्द्र मोहन वर्मा, दक्षिण- भोला महतो, पूर्व-सड़क, पश्चिम- राजेन्द्र सिंह **स्थान:-** मुहल्ला- नाजिरपुर अखाड़ाघाट रोड, थाना- नगर, अंचल- मुशहरी, वार्ड संख्या 10, सब रजिस्ट्री मुजफ्फरपुर, जिला- मुजफ्फरपुर **टाईटल होल्डर-** मृदुला देवी पति लाल बाबू महतो

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी
केनरा बैंक, एआरएम शाखा

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ...the name you can BANK upon !

शाखा-सिवान स्टेशन रोड, अंचल कार्यालय -चम्पारण, SAM विभाग, उज्जवल कॉमप्लेक्स, चाँदमारी चौक, मोतिहारी-845401, ई-मेल : cochamprecovery@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई नीलामी बिक्री सूचना)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना. एतद द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार (ओं) को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को संरक्षित / सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक (जो भी लागू हो) जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है. संबंधित उधारकर्ता(ओं) और जमानतदा(रों) से बैंक /सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये तालिका में उल्लेखित तिथि पर ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेचा जाएगा. सुरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित है.

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची
ई नीलामी की तिथि : 27.03.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 27.03.2026 पूर्वाह्न 12.00 बजे तक)

क्रम सं0	शाखा का नाम / खाता का नाम / नाम एवं पता उधारकर्ता/ गारंटर के खाते का	बंधक रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम [संपत्ति(यों) के बंधककर्ता]-	ए) मांग सूचना कि तिथि U/S 13(2) / बी) बकाया राशि 13(2) नोटिस तिथि को / सी) कब्जा तिथि U/S 13(4) / डी) कब्जे की प्रकृति- प्रतिकात्मक/भौतिक/ रचनात्मक	ए)सुरक्षित मूल्य- / बी) ईएमडी / सी) बीड वृद्धि की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भार का विवरण- सुरक्षित लेनदार
1	**पीएनबी-सिवान स्टेशन रोड** **मेसर्स गुप्ता जेनरल स्टोर** 9912008700000318, 991200IL00000101 **मेसर्स गुप्ता जेनरल स्टेर,** ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226. **ओम प्रकाश गुप्ता,** पिता-श्री चन्द्रिका प्रसाद, ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान-841226. **श्रीमती तारा देवी** पति-ओम प्रकाश गुप्ता ग्राम-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान, 841226.	भूमि एवं भवन जिसका सेल डीड नं0-3762, दिनांक 10.04.2015, खाता नं0-232, खेसरा नं0-2729, थाना नं0-341, तौजी नं0-998, क्षेत्रफल-4.65 डिसमिल या 1 कट्ठा 5 धुर, मौजा-उखई पूरबपट्टी, थाना-पचरूखी, जिला-सिवान. **चौहद्दी** : उत्तर-नम्बर हाजा बैदार चनमटिया देवी, दक्षिण-नम्बर हाजा निज पट्टीदार, पूरब-विशेसर साह, पश्चिम-पीसीसी रास्ता **स्वामी** : तारा देवी पति-ओम प्रकाश गुप्ता	ए) 03.08.2022 बी) रू0 521025.46/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क 03.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक सी) 10.11.2022 डी) प्रतिकात्मक	ए) रू0 2295000/- बी) रू0 229500 /- सी) रू0 20000/-	27.03.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक	पंजाब नेशनल बैंक, सिवान स्टेशन रोड शाखा (991200)

नियम व शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा.
1. संपत्तियां ''जहां भी है'', ''जैसा भी है'', ''जो कुछ भी है'' और "जिस अवस्था में है" के आधार पर बेची जा रही हैं.
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा.
3. बिक्री वेबसाइट https://BAANKNET.COM पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **27.03.2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक** अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी और सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जायेगी.
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया Website https://baanknet.com & www.pnbindia.in पर जाएं.

स्थान-मोतिहारी
दिनांक : 09.03.2026

श्री रवि कुमार, मो0-8787217004
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002